उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या–1266/VII-A-1/2025–24 (ख)/2007 टी0सी0
देहरादूनः दिनांकः 23 मई, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 यथासंशोधित 2024 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2025 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

प्रथम अनुसूची (नियम 18) का संशोधन 2 मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रथम अनुसूची (नियम 18) के कमांक 9, 10, 14 एवं 17 पर उल्लिखित स्वामित्व (रॉयल्टी) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी स्वामित्व (रॉयल्टी) रख दी जाएगी, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रथम अनुसूची (देखें नियम–18)		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची (देखें नियम 18)	
खनिज	स्वामित्व (रॉयल्टी) की दरें (रू0 में)	खनिज	स्वामित्व (रॉयल्टी) की दरें (रू0 में)
9– नदी तल/नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से	9– नदी तल/नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	पर्वतीय क्षेत्र (जनपद नैनीताल एवं देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र को छोडते हुये) हेतु रू0 7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 3.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त शुल्क। मैदानी क्षेत्र हेतु रू0 7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त शुल्क।
10– कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओंहेतु (साधारण मिट्टी की अनुज्ञा को छोडकर)	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से	10–कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओं हेतु (साधारण मिट्टी की अनुज्ञा को छोडकर)	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त शुल्क।
14– डोलोमाईट	500.00 प्रति टन	14– डोलोमाईट	रू0 200 प्रतिटन
17–सोपस्टोन	1. निम्न श्रेणी–रू0 350.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत से कम) 2. उच्च श्रेणी–रू0 450.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत व उससे अधिक)	17–सोपस्टोन	1. निम्न श्रेणी (Brightness Less than 85 percent) की रायल्टी दर– रू0 500.00 प्रति टन। 2. उच्च श्रेणी (Brightness 85 percent and above) की रायल्टी दर– रू0 600.00 प्रति टन।

Scanned with OKEN Scanner

द्वितीय अनुसूची (नियम–19) का संशोधन

3 मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान द्वितीय अनुसूची (नियम–19) के कमांक 4, 6, 7 एवं 10 पर उल्लिखित अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की वार्षिक दर के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की वार्षिक दर रख दी जायेगी, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान द्वितीय अनुसूची (देखें नियम–19)		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित द्वितीय अनुसूची (देखें नियम 19)	
खनिज	अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की वार्षिक दर (रू0 में)	खनिज	अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की वार्षिक दर (रू0 में)
4–नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80,000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष	4–नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	रू0 1.00 लाख प्रति एकड प्रति वर्ष
6–खनिज सिलिका सैण्ड हेतु	रू0 6000.00 प्रति हैक्टे0 प्रति वर्ष व तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)	6–खनिज सिलिका सैण्ड हेतु	रू0 10,000.00 प्रति है0 प्रति वर्ष (तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
7–खनिज डोलोमाईट हेतु	रू0 20000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष (तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)	7–खनिज डोलोमाईट हेतु	रू0 10,000.00 प्रति है0 प्रति वर्ष (तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
10–खनिज सोपस्टोन हेतु	रू0 5,000.00 प्रति है0, प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्वि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नही की गयी हो)	10–खनिज सोपस्टोन हेतु	रू0 10,000.00 प्रति है0, प्रति वर्ष (तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्वि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नही की गयी हो)

2. उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 यथासंशोधित 2024 में किये गये आंशिक संशोधनों के उपरान्त उक्त नियमावली के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner